फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हीराराम पुत्र शेराराम जाति जाट, निवासी भूरटिया (बाड़मेर) हाल निवासी भींयाड तहसील शिव, जिला बाड़मेर		ताजाराम पुत्र रुघनाथराम जाति जाट, निवासी भूरटिया (बाड़मेर) हाल निवासी भींयाड तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (26)

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र (151, 152 सीपीसी) मुकदमा नम्बर 547/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2025	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता **श्री नरेन्द्रसिंह सियाग** ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 151, 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 19.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर	
19.12.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. ~~[illegible]~~ 09.02.26 को पेश हो।	
09.02.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली हेतु विप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 06.03.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर	
06.03.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील [illegible] विप्रार्थीगण के [illegible] वाले विप्रार्थीगण को इत्तला हेतु [illegible] 29.04.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म को ... में जारी हुए
29.4.26	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित । पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 06.05.26 को पेश हो ।	
06.05.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली मे प्रार्थी वकील को बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा धारा 151, 152 CPC के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व मे न्यायालय के वाद संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 14.07.2017 की पालना नहीं होने तथा अमल दरामद नहीं होने पर वर्तमान मे किसी पक्षकार के फौत होने व कुछ पक्षकार द्वारा आंशिक बेचान करने पर राजस्व रेकर्ड के हिस्सा व पक्षकार के बदले जाने पर पुनः हिस्सा दुरस्ती करने व नवीन खातेदारान को जोड़ते हुए संशोधित निर्णय व संशोधित डिक्री पर्चा का निवेदन किया गया है। प्रार्थी वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे पुराने निर्णय व डिक्री के अमलदरामद व तरमीम हेतु अनुतोष चाहा गया है जबकि धारा 152 CPC के प्रार्थना पत्र के तहत केवल लिपिकीय भूल अथवा लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 151, 152 CPC के तहत नहीं दिया जाने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर	

सेवामें,

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner